

08-08-19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल  
नामान्तरण अपील वाद सं०-01/2015-16  
गो० नाईम अख्तर वगै०  
बनाम  
मैयमूर शेख एवं अन्य  
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदक गो० नाईम अख्तर, पिता- मो० जाकिर हुसैन, सा०- खरदिग्धी मनसिंहा, थाना- राजमहल, जिला- साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद सं० 770/2012-13 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गयी है। साथ धारा 05 के तहत कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन के अवलोकन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर दिनांक 05.05.2015 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की मांग की गई है तथा अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख की मांग की गई है।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

मौजा	जमाबंदी न०	दाग न०	रकवा
मदिया	267	01	04-14-00
	180		04-00-00
	242		04-00-00

उभय पक्ष की ओर से आज वकालतन हाजरी दाखिल की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि उक्त वर्णित जमीन मौजा मदिया, जमाबंदी नं०- 267, दाग नं०- 01, रकवा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन उमेशचन्द्र दास ने अपने जीवनकाल में ही निबंधित केवाला सं० 3703/1973 के द्वारा कैलाश मंडल को विक्रय किया। पुनः उक्त जमीन को कैलाश मंडल के द्वारा निबंधित केवाला सं० 5330/1974 के माध्यम से योगेन्द्र स्वर्णकार को विक्रय किया। पुनः योगेन्द्र मंडल द्वारा क्रय की गयी जमीन को उनके पुत्र द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विक्रय किये, जो निम्न हैं:-

क्र०	नाम	निबंधित केवाला सं०	रकवा
1.	खगेशर मंडल	5770/1993	01-00-00
2.	रामवती बेवा	5769/1993	00-05-00
3.	झकसु मंडल	5768/1993	00-19-00
4.	टोपा मंडल	5771/1993	01-00-00
5.	आलम	5772/1993	01-00-00
6.	सुदाम मंडल	5773/1993	00-10-00

उनका यह भी कहना है कि उपरोक्त अंकित जमीन क्रेता के वारिसान द्वारा मौजा मदिया के जमाबंदी नं०- 267, दाग नं०- 01, रकवा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन निबंधित केवाला सं० 5357/2014 एवं 5358/2014 द्वारा अपीलार्थी को विक्री किया गया है। क्रय के पश्चात अपीलार्थी उक्त जमीन पर दखलदार बने हुये हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि

उमेशचन्द्र दास द्वारा निबंधित केवाला सं० 4778/1974 एवं 4779/1974 के द्वारा मौजा मदिया के जमाबंदी नं०- 242, दाग नं०- 01, रकवा 04 बीघा जमीन यमुना साहा एवं निबंधित केवाला सं० 3139/1975 के द्वारा मौजा मदिया जमाबंदी नं०- 180, दाग नं०- 01, रकवा 04 बीघा जमीन पट्टीवाला दासी को विक्री किये हैं। अतएव उमेशचन्द्र दास के द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण जमीन उपरोक्त अंकित व्यक्तियों को विक्री कर दिये हैं। बाद में पट्टीवाला दासी द्वारा क्रय की गयी जमीन कुल रकवा 04 बीघा जमीन को विभिन्न दरस्तावेजों द्वारा विक्री कर दी है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया है कि उत्तरवादी को विक्री की गयी जमीन, जिसके विक्रेता गायत्री देवी एवं सीता देवी हैं वे दोनों उमेशचन्द्र मंडल के वारिसान अंतर्गत नहीं आते हैं।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अंत में कहना है कि अपीलार्थी द्वारा खरीदी गई जमीन जो मौजा मदिया जमाबंदी नं०- 267 दाग नं०- 01 रकवा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन का गलत एवं अवैध ढंग से उत्तरवादी द्वारा अंचल अधिकारी के मिली भगत से नामांतरण करवा लिये हैं। जबकि उत्तरवादी को बेचने के लिए विक्रेता को जमाबंदी नं०- 267 में जमीन है ही नहीं। फलस्वरूप उक्त नामांतरण हल्का कर्मचारी के द्वारा बगैर उक्त जमाबंदी के जाँच किये एवं मिलान किये तैयार प्रतिवेदन पर अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण की कार्रवाई की गयी है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं० 770/2012-13, दिनांक 26.11.2012 में पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) किया जाय।

आज उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गयी है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा नामांतरण अपील वाद विधि अंतर्गत निश्चित समय सीमा के उपरांत दायर किया गया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा संबंधित वाद मौजा मदिया जमाबंदी नं०- 267, दाग नं०- 01, रकवा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन को लेकर दाखिल किया गया है। जबकि उत्तरवादी के नाम जमाबंदी नं०- 180 अंतर्गत जमीन का अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण हुआ है। अतएव उनका कहना है कि उक्त वाद विधि अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है मौजा मदिया के जमाबंदी नं०- 267 के अंतर्गत निबंधित केवाला सं० 5555/2014 एवं 5550/2014 के द्वारा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन अपीलार्थी के द्वारा क्रय किया गया है, जबकि उत्तरवादी द्वारा वर्ष 2011 में जमाबंदी नं०- 180 अंतर्गत जमीन का क्रय कर वर्ष 2011-12 में नामांतरण करवा कर दखलकार बने हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011 में अपीलार्थी उक्त जमीन का ना तो मालिक था और ना ही उसके दखल में था। फलस्वरूप अपीलार्थी के दाखिल अपील आवेदन में सभी कथन विलकुल ही निराधार एवं सत्य से परे है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का अंत में कहना है कि उत्तरवादी जमाबंदी नं०- 180 अंतर्गत जमीन का नामांतरण करवाया है ना कि जमाबंदी नं०- 267 का।

अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन को खारिज किया जाय।


अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। उक्त अभिलेख में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि आवेदित जमीन का पंजी ॥ से मिलान किया

एवं सही पाया। विक्रेता जमाबंदी रैयत के नाती व पुत्री ने उनके मरणोपरांत अपने-अपने अंश की जमीन निबंधित केवाला सं० 5555/2011, दिनांक 01.12.2011 द्वारा कुल रकवा 03 बीघा 02 कट्टा जमीन आवेदकों के पास बिक्री किये हैं। उक्त जमीन पर आवेदकों का शांतिपूर्ण दखल है। साथ ही उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित जमीन भू-दान, भू-हदबंदी, बन्दोबस्ती, बासगीत पर्चा, आम खास, रेलवे वी क्लास एवं विवाद से मुक्त है। फलस्वरूप हल्का कर्मचारी द्वारा नामांतरण की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आलोक में अंचल निरीक्षक द्वारा हल्का कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को सत्यापित एवं अनुशंसित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत यह प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपारत करने हेतु दखल संबंधी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाये हैं।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उपसमहर्ता  
राजमहल।

  
भूमि सुधार उपसमहर्ता,  
राजमहल।